रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 14, 1972/आश्विन 22, 1894

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 14, 1972/ASVINA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोडकर) भारत सरकार में मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, by-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

CABINET SECRETARIAT
(Department of Personnel)

New Delhi, the 3rd October, 1972

G.S.R. 1313.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951, (61 1951) the Central Government, after consultation with the Government of Maharashtra, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Forest Service (Pay) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, in schedule III, under the heading "A-Posts carrying pay above the time scale pay of the Indian Forest Service under the State Governments" against the item "Maharashtra" in column 1, after the entries "Chief Conservator of Forests" and "2000-125-2250", in column 2 and 3 respectively, the following entries shall respectively be inserted, namely:—

"Additional Chief Conservator of Forests. 2000-100-2200."

[No. 8/41/71-AIS (IV).]

M. R. BHARDWAJ, Under Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय
(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 3 अाक्टूबर, 1972

स० का० नि० 1313.—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र, सरकार के परामर्श के बाद, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

(1) ये नियम भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम 1972 कहे जा सकगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होगें।

2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 1968 की अनुसूची 3 में "क-राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा के समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद" शीर्षक के अधीन कालम 1 की मद "महा-राष्ट्र" के आगे कालम 2 तथा 3 में क्रमश: "मुख्य बनपाल" तथा "2000-125-2250" प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

"अपर मुख्य बनपाल 2000-100-2200"

[संख्या 8/41/71-आ०भा०से० (4)]

एम०आर० भारद्वाज अवर सचिव,

POSTS & TELEGRAPHS BOARD

(Department of Communications)

New Delhi, the 5th October, 1972

G.S.R. 1327.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Posts and Telegraphs Department (Liftman) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Posts and Telegraphs Department (Liftman) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Posts and Telegraphs Department (Liftmen) Recruitment Rules, 1964,

(i) *for rule 5, the following rules shall be substituted,* namely:—

"5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard;"

(ii) in the Schedule in column (6) for figure, letters and words "1st of January", the figure, letters and words "1st of July" shall be substituted.

[No. 99-1/72-NCG.]

K. V. LAKSHMANAN,
Asstt. Director General (STN).

संचार मंत्रालय

डाक तार बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्टूबर, 1972

सा०का०नि० 1327—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, डाक-तार विभाग (लिफ्ट-मैन) भर्ती नियम, 1964 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात् :—

1 **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** :

(i) इन नियमों का नाम डाक-तार विभाग (लिफ्टमैन) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. डाक-तार विभाग (लिफ्टमैन) भर्ती नियम, 1964 में,

(i) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"5. **अयोग्यताएं** :—कोई भी ऐसा व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो या विवाह का करार किया हो, जिसके पहले से ही एक जीवित पति/पत्नी है, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो या विवाह का करार किया हो—

तब तक उस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और विवाह की दूसरी पार्टी के साथ लागू वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसे विवाह की अनुमति दी जा सकती है और कि ऐसा करने के लिए और भी आधार हैं, इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

6. **छूट देने की शक्ति**:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके आदेश द्वारा किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों को बाबत छूट दे सकेगी।

7. **अपवाद** :—केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए दिए जाने वाले आरक्षणों और रियायतों के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को जो आरक्षण और रियायतें दी जानी चाहिएं, उन पर इन नियमों का कोई प्रभाव नही पड़ेगा।"

(ii) अधिसूची के कालम (6) में अंक, अक्षरों और शब्दों में "पहली जनवरी" के स्थान पर अंक, अक्षरों और शब्दों में "पहली जुलाई" प्रतिस्थापित किया जाए।

[सं० 99/1/72–एन० सी०जी०]

के० वि० लक्ष्मणन
सहायक महानिदेशक (एस०टी०)

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 18th September, 1972

G.S.R. 1328.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III Posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III Posts) Recruitment (Fifth Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Class III Posts) Recruitment Rules, 1964,

(i) after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:—

"7. **Saving:** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard";

(ii) in the Schedule,—

(a) against serial number 34 relating to the post of 'Clerk-Grade II/Teleprinter Operator' for the entry in column 9, the entry "18—25 years" shall be substituted;

(b) against serial number 37 relating to the post of 'Stenographer (Tamil)' for the entry in column 9, the entry "18—25 years" shall be substituted;

(c) against serial number 58 relating to the post of 'Junior Stenographer' for the entry in column 9, the entry "18—25 years" shall be substituted.

[No. 1/5/72-B(A).]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 18 सितम्बर, 1972

जी०एस०आर० 1328—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्-द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती (पंचम संशोधन) नियमावली, 1972 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में—

(1) नियम 6 के बाद निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्

"7. अपवाद : इन नियमों की किसी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा अन्य विशिष्ट वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

(2) अनुसूची में :

(क) क्लर्क ग्रेड-2/टेलीप्रिन्टर आपरेटर के पद से संबंधित क्रम संख्या 34 के सम्मुख कालम 9 के अन्तर्गत प्रविष्टि के स्थान पर "18-25 वर्ष" की प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(ख) स्टेनोग्राफर (तमिल) के पद से संबंधित क्रम संख्या 34 के सम्मुख कालम 9 के अन्तर्गत प्रविष्टि के स्थान पर "18-25 वर्ष" की प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(ग) जूनियर स्टेनोग्राफर के पद से संबंधित क्रम संख्या 58 के सम्मुख कालम 9 के अन्तर्गत प्रविष्टि के स्थान पर "18-25 वर्ष की" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायगी।

[सं० 1/5/72 बी० ए०]

ए० वी० नारायणन, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd October, 1972

G.S.R. 1329.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Publications Division (Class III Posts) Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Publications Division (Class III Posts) Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Publications Division (Class III Posts) Recruitment Rules, 1968, in column 2 against item No. 3, relating to the post of "Sales Assistant"; for the entry "8", the entry "11" shall be substituted.

[No. A. 12018/3/70-A.I./DS(1)]

दिनांक 3, अक्तूबर 1972

जी०एस०आर० 1329—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा प्रकाशन प्रभाग (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली 1968 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को प्रकाशन प्रभाग (श्रेणी-3 पद) भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 1972 कहा जा सकेगा।

(2) यह अपने शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू किए जाएगें।

2. प्रकाशन प्रभाग (श्रेणी -3 पद) भर्ती नियमावली 1968 की अनुसूची में, क्रम संख्या 3 बिक्री सहायक 2 के अन्तर्गत प्रविष्टि '8' के स्थान पर प्रविष्टि '11' प्रस्थापित की जाएगी।

[सं० ए. 12018/3/70-प्रशासन-1,डी०एस० (आई०)]

G.S.R. 1330.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendment to the Press Information Bureau Regional and Branch Offices Class III (Non-gazetted) Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Press Information Bureau Regional and Branch Offices Class III (non-gazetted) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publications in the official Gazette.

2. In the schedule to the Press Information Bureau Regional and Branch Offices Class III (Non-gazetted) Recruitment Rules, 1968, S. No. 2 relating to the post of Scales Assistant and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. A.12018/3/70-Prashasan.I/DS(I).]

S. PADMANABHAN, Under Secy.

जी०एस०आर० 1330— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा पत्र सूचना कार्यालय क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों श्रेणी-3 (अराजपत्रित), भर्ती नियमावली 1968 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों को पत्र सूचना कार्यालय क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालय, श्रेणी-3 (अराजपत्रित) भर्ती (द्वितीय संशोधन नियम) कहा जाएगा।

(2) यह अपने शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू किए जाएंगे।

2. पत्र सूचना कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय श्रेणी-3 (अराजपत्रित) भर्ती नियमावली 1968 में क्रम संख्या 2 जो कि बिक्री सहायकों के पद से संबंधित है और उनसे संबंधित जो प्रविष्टिका है, वह अनुसूची में से छोड़ दी जाएगी ।

एस. पद्मनाभन, उप-सचिव

[सं ए 12018/3/70-प्रशासन-1/डी०एस० (आई०)]